न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारी: हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या – 4/2016 (आवंटन निरस्तीकरण)

जीसीएमएस नं0 2016/00115

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

---प्रार्थी.

बनाम

पुरीलाल आत्मज काशीराम गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

--अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवन्टन) नियम 1970

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह चौहान राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक –14/06/2022

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम किशोरपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 103 की रकबा 0.05 हे0 एवं खसरा नम्बर 109 की 0.36 हे0 भूमि दिनांक 16.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी को जारी नोटिस पुत्र के जरिये बाद तामिल प्राप्त अप्रार्थी उपस्थित, किन्तु इसके बाद अप्रार्थी आवंटी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 14.2.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है । सम्बन्धित आवंटन पत्रावली तलब की गई । प्रकरण में पटवारी हल्का की वर्तमान रिपोर्ट दिनांक 01.6.2022 प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है । राजपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । राजकीय अभिभाषक को सुना गया ।

3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए तथा वर्तमान पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर मौके की स्थिति अनुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया।

4. हमने राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । आवंटी को ग्राम किशोरपुरा के खसरा नम्बर 103 की रकबा 0.05 हे0 एवं खसरा नम्बर 109 की 0.36 हे0 कुल किता–2 रकबा 0.41 हे0 भूमि दिनांक 16.12.2010 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई थी, तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा केवल मात्र खसरा नम्बर 103 पर काश्त नहीं करने से आवंटन निरस्त करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । प्रकरण में पटवारी हल्का की वर्तमान रिपोर्ट दिनांक 10.06.2022 प्राप्त हुई, जिस अनुसार उक्त आवंटित भूमि खसरा नम्बर 109 की 0.36 हे0 भूमि पर आवंटी द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है तथा खसरा नम्बर 103 की रकबा 0.05 हे0 रास्ते के रूप में काम आना बताया है । काब्जा काश्त की स्थिति में आवंटी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रकरण पुनः तहसीलदार रामगंजमण्डी को कब्जा काश्त होने की स्थिति में मौके की जांच कर खातेदारी देने एवं यदि कब्जा काश्त नहीं है तो आवंटन से अब तक खसरा गिरदावरी की नकलों के साथ प्रकरण पृथक से 14(4) के तहत प्रस्तुत करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

5. परिणामस्वरूप तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना करते हुए कब्जा काश्त की जा रही है तो आवंटित भूमि पर एक माह में खातेदारी देने की कार्यवाही करें, यदि आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जा रही है तो आवंटन से अब तक खसरा गिरदावरी की नकलों के साथ प्रकरण पृथक से 14(4) के तहत प्रस्तुत करें ।

6. निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा